



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072026-274846
CG-DL-E-29072026-274846

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3925]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2026/श्रावण 2, 1948

No. 3925]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2026/SHRAVAN 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2026

का.आ. 4095(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 353 के कि.मी 90/00 से कि.मी 145/420 तक और राष्ट्रीय राजमार्ग 59 के कि.मी 0/00 से कि.मी 44/100 तथा कि.मी 51/00 से कि.मी 56/860 तक, (तहसीलदार, कोमना (राष्ट्रीय राजमार्ग-353) के अधिकार क्षेत्र में किमी 90.000 से किमी 131.200 तक, तहसीलदार, खरियार (राष्ट्रीय राजमार्ग-353) के अधिकार क्षेत्र में किमी 131/200 से किमी 145/420 तक तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-59 पर तहसीलदार, खरियार के अधिकार क्षेत्र में किमी 0.000 से किमी 12.400 तक एवं उप-जिलाधिकारी (सब-कलेक्टर), टिटिलागढ़ के अधिकार क्षेत्र में किमी 12.400 से किमी 44.000 तक तथा किमी 51.000 से किमी 56.860 तक) पेव्डशोल्डर के साथ 2-लेन सड़क को सुदृढीकरण और चौड़ीकरण के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 353, और 59 के कि.मी 90/00 से कि.मी 145/420 तक और राष्ट्रीय राजमार्ग 59 के कि.मी 0/00 से कि.मी 44/100 तथा कि.मी 51/00 से कि.मी 56/860 तक, पेव्डशोल्डर के साथ 2-लेन सड़क को सुदृढीकरण और चौड़ीकरण के लिए भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	तहसीलदार कोमना	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-353 के कि.मी 90 से कि.मी 131.2 तक	उड़ीसा	नुआपाड़ा	कोमना	1 तरबोड 2 पलसीपाणि 3 माणिकगुडा 4 कुरेशर 5 किसना
2	तहसीलदार, खरिआर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-353 के कि.मी 131.2 से कि.मी 145.42 तक और NH-59 कि.मी 0.00 से कि.मी 12.400	उड़ीसा	नुआपाड़ा	खरिआर	1 सानमहेश्वर 2 देबबाहाल 3 पद्मपुर 4 अरड़ा 5 अमलापाली 6 महुरा
3	सब -कलेक्टर, टिटलागढ़	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH59 के कि.मी 12.4 से कि.मी 44 तक और कि.मी 51.00 से कि.मी 56.860	उड़ीसा	बलांगीर	बनगोमुण्डा	1 बोरबाहाल 2 गंधराबंध 3 जएरपरा 4 फुंडेल पदर 5 फुगुड़ा
					टिटलागढ़	1 चारभटा 2 सिनापाली
					मुरीबहाल	1 गुन्चि तरा 2 गुरुण्डा

						3	गरेई
						4	असुरमुंडा
						5	मालपरा
						6	युगिरता
						7	हल्दी
						8	पत्रपाली
						9	घंट बाहली
						10	बिटाबंध
						11	कंदाखाल
						12	पिटापरा
						13	सिरोल
						14	बेल पदर

[फा. सं. Ro/BBSR/11017/LA/97/2016]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2026

S.O. 4095(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 90 to 131.2 of Tahasildar Komna (NH-353) in the State of ODISHA, 131.2 to 145.42 of Tahasildar Khariar (NH-353) and 0 to 12.4 of Tahasildar Khariar (NH-59) in the State of ODISHA, 12.4 to 44 and 51 to 56.86 of Sub-Collector, Titilagarh (NH59) for the project Widening and strengthening from 2-lane to 2-lane with paved shoulders from Km 90/00 to Km 145/420 of NH-353 and from Km 0/00 to Km 44/100 and from Km 51/00 to Km 56/860 of NH-59 in the State of ODISHA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-353, and NH59 for the project Widening and strengthening from 2-lane to 2+1 lane with paved shoulders from Km 90/00 to Km 145/420 of NH-353 and from Km 0/00 to Km 44/100 and from Km 51/00 to Km 56/860 of NH-59 in the State of ODISHA.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7	
1	Tahasildar Komna	NH-353 KM 90 TO KM 131.2	ODISHA	NUAPADA	KOMNA	1	Tarbod
						2	Palasipani
						3	Manikaguda
						4	Kureshar
						5	Kisna
2	Tahasildar Khariar	NH-353 KM 131.2 TO KM 145.42 and NH-59 KM 0.00 TO KM 12.400	ODISHA	NUAPADA	KHARIAR	1	Sanamaheswar
						2	Devbahal
						3	Padmapur
						4	Arada
						5	Amalapali
						6	Mahura
3	Sub-Collector, Titilagarh	NH59 KM 12.4 TO KM 44 and KM 51.00 TO KM 56.860	ODISHA	BALANGIR	Bangomunda	1	Borbahal
						2	Gandhara bandha
						3	Jaerpara
						4	Fundel Padar
						5	Fuguda
					Titlagarh	1	Charbhata
						2	Sinapali
					Muribahal	1	Gunchi Tara
						2	Gurunda
						3	Ganrei
4	Asurmunda						
5	Malpara						

						6	Yugirata
						7	Haldi
						8	Patrapali
						9	Ghanta Bahali
						10	Bitabandha
						11	Kandakhala
						12	Pitapara
						13	Sirol
						14	Bel Padar

[F. No. Ro/BBSR/11017/LA/97/2016]

SHAIKH AMINKHAN, Director